सूचना का अधिकार मामला/समयबद्ध
अति तत्काल
स्पीड पोस्ट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066
www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या मा.सं.प्र./ सूचना का अधिकार/ VI(66(2)2006 | 696 दिनांक 19 SEP 2011

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री/श्रीमती मन्नू काजलेकर द्वारा उनके लिखित आवेदन दिनांक 3-8-2011 के द्वारा सूचना हेतु अनुरोध किया गया है।

2. चूंकि, मुझे उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर विचार कर सूचना देना आवश्यक है।

एवं चूंकि अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, यदि उचित समझे, अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह हेतु किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। उप पैरा (5) में आगे यह प्रावधान भी है कि जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा, यदि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण शिकायत भेज दी जाती है, तो ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा एवं वह अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्ड का भागी हो सकता है। आगे, उपबन्धों का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने पर ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत देरी के लिए, 250/-रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी होगा जो कि 25000/-रूपये तक बढ़ सकता है।

4. एवं चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) मे प्रावधान है कि:

"जब सूचना के लिए जन अधिकारी को आवेदन किया गया हो:-"

(i) जो किसी अन्य जन अधिकारी के पास उपलब्ध हो ; अथवा

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन प्राधिकारी के कार्यों से संबंध रखती हो।

जिस जन प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया हो, वह आवेदन को अथवा इसके किसी भाग को, जैसा उचित समझे, उस अन्य अधिकारी के पास स्थानांतरित करेगा एवं आवेदन कर्ता को ऐसे स्थानांतरण की तत्काल सूचना देगा।

चूंकि आवेदन की जाँच से मैंने पाया है कि आवेदनकर्ता ने निम्नलिखित मदों पर सूचना मांगी है:

1. मद संख्या 1 से 5 तक
2.
3.
4.

आवेदन की फोटोकापी

पत्र संख्या ____—____

____

दिनांक 3-8-2011 के साथ

संलग्न है

जो सभी क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारिओं/____________ के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से संबंधित एंव उपलब्ध हैं। मैं उक्त अधिनियम की धारा 5(4) का उपयोग करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत गई सूचना/दस्तावेज इस प्रति की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र को स्थानांतरित करता हूँ । कृपया आप नोट करें की मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने में हुई देरी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दाण्डिक उपबन्ध है ।

कृपया इसे **अति तत्काल** समझे ।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

सेवा में,

1. क्षेत्र के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी_______—_______।
2. सभी क्षेत्रो के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी वैब प्रशासक, एन.डी.सी., इस पत्र की प्रतिलिपि एवं दिनांक __________ का आवेदन पत्र संगठन की वेबसाईट पर डालने के लिए।
3. श्री/श्रीमति मन्नू काजलेकर स्टेनोग्राफर ।
क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.) ।
_______________ ।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
(मा.सं.प्र.)

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय,
14, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली – 110066.

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी बाबत्

महोदय,

मैं निर्धारित देय शुल्क का पोस्टल आर्डर सलग्न करते हुए निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया जानकारी मुझे वांछित जानकारी मेरे कार्यालयीन पते पर उपलब्ध कराने का श्रम करें :–

1. श्री बी. टी. कृष्णाराव व अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रकरण में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदरा बैंच द्वारा पारित आदेश क्र. O. A. No. 237/2004 दिनांक 27/03/2006 के तहत संगठन के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आशुलिपिको को प्रोन्नति देने बाबद आयोजित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकों के कार्यवृत्त, कार्यालयीन टिप्पणी की प्रति के साथ (प्रमाणित प्रति)

2. अ. इसी तारतम्य में आशुलिपिक से आशुलिपिक वर्ग–2/निजी सहायक के पद पर प्रोन्नत कर्मचारियो की अद्यतन सूची संबंधित कर्मचारी के पदस्थापना कार्यालय का नाम सहित।
   ब. आशुलिपिक वर्ग–2/निजी सहायक से निजी सचिव के पद पर प्रोन्नत कर्मचारियों की अद्यतन सूची संबंधित कर्मचारी के पदस्थापना कार्यालय का नाम सहित।
   स. निजी सचिव से सहायक भविष्य निधि आयुक्त के पद पर प्रोन्नत कर्मचारियों की अद्यतन सूची संबंधित कर्मचारी के पदस्थापना कार्यालय का नाम सहित।

3. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आशुलिपिक सेवा नियमावली, 1998 लागू होने के उपरांत अखिल भारतीय वरीयता सूची के अनुसार आशुलिपिक पद से निजी सहायक पद पर प्रोन्नत व निजी सहायक पद से निजी सचिव पद पर प्रोन्नत कर्मचारियों की अद्यतन सूची संबंधित कर्मचारी के पदस्थापना कार्यालय का नाम सहित।

आविरत... 2/-

4. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आशुलिपिक सेवा नियमावली, 1998 लागू होने के उपरांत कार्यालयवार स्वीकृत पद, भरे हुए पद एवं रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति रिक्तता का कारण सहित ।
5. केन्द्रीय कार्यालय द्वारा आशुलिपिकीय संवर्ग में परिपत्र संख्या P-VI/2(4)83/Vol.I/ 60698 dated 22/9/99 के तहत दर्शित रिक्ति की पूर्ति में रिजर्वेशन रोस्टर के अनुपालन की स्थिति ।

अतएव आपसे निवेदन है कि कृपया उपरोक्त वांछित जानकारी मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रदाय करने का श्रम करें ।

भवदीय,

दिनांक: 03 अगस्त 2011

(मन्नू काजलेकर) 3/8/11
स्टेनोग्राफर,
क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर(म0प्र0)

नकद पोस्टल ऑर्डर
नं 64 ... 5/8/11